दशमोत्तर कक्षाओं (कक्षा 11-12 एवं अन्य उच्च कक्षा) के अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को सूचित किया है कि जिन छात्रों का वित्तीय वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्ति स्टेट्स में ट्रान्जेक्शन फेल्ड प्रदर्शित हो रहा है, वे छात्र अपने छात्रवृत्ति खाता को आधार से लिंक करा लें, यदि खाते में लिमिट कम हो तो बैंक से सम्पर्क कर लिमिट को बढ़वा लें। यदि खाता बन्द हो तो बैंक से सम्पर्क कर खाता का केवाईसी कराकर चालू करा लें, जिससे निदेशालय स्तर से पुनः छात्रवृत्ति की धनराशि अन्तरित होने पर प्राप्त हो सके। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा खाते को सही नहीं कराया जाता है तो छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त न होने पर छात्र/छात्राओं की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के समस्त दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं को भी सूचित किया है कि वे अपने शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं (कक्षा 11-12 एवं अन्य उच्च कक्षा) के छात्र/छात्राओं को उपरोक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी सूचित करना सुनिश्चित करें।

25/08/22